न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18 / 161

1. फोरू लाल आयु 42 वर्ष आत्मज सुवालाल जाति मीणा निवासी कोढी पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. गिरिराज आयु 38 वर्ष आत्मज सुवालाल जाति मीणा निवासी कोढी पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय रेंज नैनवा जिला बून्दी ।
2. श्री देवीसिंह जगाती (वनपाल) वन नाका बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी (नाम तर्क)।
3. श्री रामराय जगाती (वनपाल) वन नाका बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 09.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खोडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 246 रकबा 114 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से 10 बीघा भूमि को वादी ने काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही पडत से फाडकर कृषि योग्य बनाया तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । उक्त चतुर्सीमा की भूमि में से 05 बीघा भूमि का आवंटन वादी कम 01 को दिनांक 07.12.1975 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया । वादी ने उक्त

भूमि को आवंटन कराने के लिए आवेदन भरा लेकिन वादी अनपढ होने से उसने अपने कब्जे वाली भूमि खसरा नम्बर 246 के नम्बर बता दिये लेकिन आवेदन पत्र भरने वाले व्यक्ति ने सहवन से 246 के स्थान पर 249 दर्ज कर दिया । उक्त आवंटन आदेश में खसरा नम्बर 249 गलत दर्ज कर दिया गया जबकि आवंटन के बाद वादी को कब्जा खसरा नम्बर 246 पर ही दिया गया है । खसरा नम्बर 246 के आस–पास वन विभाग की कोई भूमि नहीं है । वादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि है जिसमें से वादी को 05 बीघा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई है । खसरा नम्बर 246 में से 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि जगन्नाथ वल्द धन्ना के नाम आवंटित होकर खातेदारी में दर्ज है । खसरा नम्बर 246 में से 10 बीघा भूमि अम्बालाल आत्मज धन्नालाल को आवंटित होकर खातेदार में दर्ज हुई है । प्रतिवादी वादी के उक्त भूमि पर कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं जिन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि खसरा नम्बर 246 में से वादीगण को आंवटित व कब्जे काश्त की भूमि पर से वादीगण को बेदखल नहीं करें, भूमि पर खड्डे नहीं खोदें, भूमि पर वन विभाग का क्लोजर नहीं लगावें एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उक्त भूमि में जबरन क्लोजर लगा दिया जावे तथा वादी को बेदखल कर दिया जो तो वादीगण को वापस कब्जा दिलवाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 246 रकबा 114 बीघा में से 10 बीघा भूमि वादी अपीलान्ट के पिता सुवालाल ने काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व काबिल काश्त बनाया था जिसमें से 05 बीघा भूमि अपीलान्ट के पिता को दिनांक 07.12.1975 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की गई थी । वादी अपीलान्ट के पिता अनपढ होने से उनके आवेदन पत्र में खसरा नम्बर 246 के स्थान पर 249 दर्ज कर दिया । उक्त आवंटन आदेश में खसरा नम्बर 249 गलत दर्ज कर दिया । वादी अपीलान्ट का खसरा नम्बर 249 पर कभी कब्जा नहीं रहा और न ही वर्तमान में कब्जा है । वादी अपीलान्ट का खसरा नम्बर 246 की भूमि पर कब्जा है । खसरा नम्बर 246 की खसरा परिवर्तनशील में भी वादी अपीलान्ट का नाम दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.02.2018 को वन विभाग के कर्मचारी भूमि पर आये और कहा कि तुम्हारी फसल को काट लो भूमि पर वन विभाग को क्लोजर लगायेगे कहने पर हुई । जानकारी प्राप्त होते ही अपीलान्ट ने दिनांक 22.02.2018 को नकल के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया जिस पर दिनांक 2.01.2018 को

नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि खसरा नम्बर 246 रकबा 114 बीघा वाके ग्राम खोडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है । खसरा नम्बर 246 में से 10 बीघा भूमि को अपीलान्ट के पिता ने काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व कृषि योग्य बना कर काश्त की थी जिसमें से 05 बीघा भूमि अपीलान्ट के पिता को दिनांक 07.12.1975 को आवंटित की गई थी परन्तु अपीलान्ट के पिता के आवंटन आवेदन पत्र में खसरा नम्बर 246 के स्थान पर 249 अंकित कर दिया । वादी अपीलान्ट के पिता खसरा नम्बर 246 पर ही काबिज थे और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट खसरा नम्बर 246 पर काबिज हैं । वादी ने इसी आराजी के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था जिसमें प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेा किया । पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में अपीलान्ट मय अभिभाषक दिनांक 10.07.2017 को उपस्थित हुए और अपीलान्ट को यह कहा गया कि कैम्प के बाद इसकी सुनवाई न्यायालय में होगी परन्तु दिनांक 14.07.2017 को दावा वादी खारिज कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वन विभाग की है जिस पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी विधि सम्मत रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया है कि खसरा नम्बर 246 में से 10 बीघा आराजी पर उनका कब्जा है और 05 बीघा भूमि का आवंटन सन् 1975 में किया गया परन्तु सहवन से उसमें खसरा नम्बर 246 के स्थान पर खसरा नम्बर 249 दर्ज किया गया है । दावे में यह भी अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 246 की आराजी सिवायचक है इसके आस–पास कोई वन भूमि नहीं है । दावे के शीर्षक में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंकित किया गया है परन्तु घोषणा की सहायता नहीं मांगी है वरन् स्थायी निषेधाज्ञा की

सहायता मांगी है । सरकार को पक्षकार भी नहीं बनाया है । पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 246 रकबा 114 बीघा 07 बिस्वा आराजी सरकार के खाते में खड्डेदार भूमि के रूप में दर्ज है । पत्रावली पर जवाबदावा पेश किया गया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी आरक्षित वन है ।

12. जहॉ तक दावे का प्रश्न है दावे में वादी के द्वारा यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा आवंटन के समय सहवन से खसरा नम्बर 246 के स्थान पर खसरा नम्बर 249 अंकित किया गया है जबकि उनका कब्जा खसरा नम्बर 246 पर है । यदि वादी को खसरा नम्बर 249 की आराजी आवंटित की गई है तो इस स्थायी निषेधाज्ञा के दावे में उससे भिन्न खसरा नम्बर पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वैसे भी वादग्रस्त आराजी संलग्न नकल जमाबन्दी खाता सरकार दर्ज है जिस पर कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । तद्नुसार वादी का दावा खसरा नम्बर 246 के बाबत् हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि– सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.07.2017 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/161

1. फोरू लाल आयु 42 वर्ष आत्मज सुवालाल जाति मीणा निवासी कोढी पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. गिरिराज आयु 38 वर्ष आत्मज सुवालाल जाति मीणा निवासी कोढी पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय रेंज नैनवा जिला बून्दी ।
2. श्री देवीसिंह जगाती (वनपाल) वन नाका बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी (नाम तर्क)।
3. श्री रामराय जगाती (वनपाल) वन नाका बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 85/दावा/2016

1. स्वालाल आत्मज कंवरा आयु 75 वर्ष जाति मीणा ।
2. फोरू लाल आयु 42 वर्ष आत्मज सुवालाल जाति मीणा निवासी कोढी पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---वादी

बनाम

1. श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय रेंज नैनवा जिला बून्दी ।
2. श्री देवीसिंह जगाती (वनपाल) वन नाका बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्री रामराय जगाती (वनपाल) वन नाका बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 09.10.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.07.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 09.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा